अनुदान संख्या 93 – पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 93–MINISTRY OF TOURISM

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	486,00,00		491,71,00	460,95,15	–30,75,85
पूरक	Supplementary	5,71,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					21,61,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	561,00,00		573,00,00	568,45,79	–4,54,21
पूरक	Supplementary	12,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,10,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (3075.85 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 571.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.3075.85 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.571.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	345.00	414.50	402.12	–12.38
पू.	S.	38.00			
पु.	R.	31.50			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2075'' विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services				
मू.	O.	50.00	147.00	219.26	+72.26
पु.	R.	97.00			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1100.00	. .	. .	. .
पु.	R.	– 1100.00			
मुख्य शीर्ष ''3452'' पर्यटन	Major Head "3452" Tourism				
मू.	O.	47105.00	46448.50	45473.77	–974.73
पू.	S.	533.00			
पु.	R.	–1189.50			

(I) 1250.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''सामान्य (पर्यटन) - प्रशिक्षण - आईएचएमएस/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता'' - 400.00 लाख रु.; और

(ख) ''सामान्य (पर्यटन) - संवर्धन और प्रचार - आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार'' - 700.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.1250.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "General (Tourism) - Training - Asstt. to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" - Rs.400.00 lakhs; and

(b) "General (Tourism) – Promotion & Publicity - Domestic Promotion & Publicity including Hospitality" - Rs.700.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए विनिवेश की वापसी से होने वाली आय के लिए प्रावधान'' - 150.00 लाख रु. भारतीय पर्यटन विकास निगम की विनिवेश राशि की वापसी के विवादित और न्यायाधीन मामलों का निपटान न होने के कारण थे।

(B) Major Head "3452" – "General – Other Expenditure – Provision for refund of disinvestment Proceeds for ITDC" - Rs.150.00 lakhs - due to non-settlement of disputed and subjudice cases of refund of disinvestment proceeds of India Tourism Development Corporation.

(II) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "3452" – "General – Direction and Administration" – remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(का) ''पर्यटन महानिदेशालय - 3083.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 313.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3397.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 657.79 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) आनलाइन अभियान कार्यकलापों के शुरू किए जाने में विलंब होने, रिक्त पदों को न भरे जाने, किराए के संशोधन का निपटान न होने, संतान शिक्षा भत्ते तथा छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Directorate General of Tourism" - the original provision of Rs.3083.50 lakhs was augmented to Rs.3397.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.313.50 lakhs. However, there was a saving of Rs.657.79 lakhs (including supplementary grant) - due to delay in commencement of online campaign activities, non-filling up of vacant posts, non-settlement of revision of rent, receipt of less claims of children education allowance and leave travel concession.

(खा) ''विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय'' - 2640.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 60.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2700.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 175.86 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, किराए के संशोधन का निपटान न होने, संतान शिक्षा भत्ते तथा छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Tourist Offices Abroad" – the original provision of Rs.2640.00 lakhs was augmented to Rs.2700.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.60.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.175.86 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-settlement of revision of rent, receipt of less claims of children education allowance and leave travel concession.

(गा) ''वेतन तथा लेखा कार्यालय'' - 53.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 6.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 59.90 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 10.35 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) अधिकारियों

(C) "Pay and Accounts Office" – the original provision of Rs.53.90 lakhs was augmented to Rs.59.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.6.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.10.35 lakhs (including supplementary grant) -

द्वारा कम दौरे किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''भारत में पर्यटक कार्यालय'' - 607.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 111.80 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 719.40 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 46.91 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(खा) ''गुलमर्ग शीतकालीन खेल परियोजना'' - 79.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 40.70 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 119.70 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 33.17 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने, संतान शिक्षा भत्ते, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने और किराए के संशोधन का निपटान न होने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रशिक्षण - सेवा प्रदायकों के लिए क्षमता निर्माण'' - 823.76 लाख रु. की बचत (1700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का पुनर्गठन किए जाने में विलंब होने की वजह से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''बाजार अनुसंधान'' - 213.11 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

due to less tours undertaken by officers and economy measures.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "3452" – "General - Direction and Administration"– remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Tourist Offices in India" – the original provision of Rs.607.60 lakhs was augmented to Rs.719.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.111.80 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.46.91 lakhs; and

(B) "Gulmarg Winter Sports Project" – the original provision of Rs.79.00 lakhs was augmented to Rs.119.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.40.70 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.33.17 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims of children education allowance, leave travel concession and non-settlement of revision of rent.

(IV) Under Major Head "3452" - "General" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Training - Capacity Building for Service Provider" - saving of Rs.823.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1700.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to delay in restructuring of the scheme.

(B) "Other Expenditure" –

(a) "Market Research" – saving of Rs.213.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments.

(ख) ''आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन'' - 1958.27 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत सहायता के मामलों को स्थायी वित्त समिति द्वारा और संशोधित स्कीम को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Incentive to accommodation Infrastructure" – saving of Rs.1958.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to non-approval of capital subsidies cases by Standing Finance Committee and revised scheme by Expenditure Finance Committee.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1600.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य - प्रशिक्षण - आईएचएमएस/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1599.00 लाख रु. था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.1600.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "3452" – "General – Training – Asstt. to IHMS/FCI/IITTM/ NCHMCT" . Actual excess, however, was Rs.1599.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2075'' - ''विनिमय द्वारा हानि'' - 169.26 लाख रु. का अधिक व्यय (50.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ होने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2075" – "Loss by Exchange" – excess of Rs.169.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.50.00 lakhs) was due to requirement of additional funds on account of fluctuation in foreign currency.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य - संवर्धन और प्रचार - प्रत्यक्ष व्यय'' - 358.08 लाख रु. का अधिक व्यय (28520.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और मुद्रण/इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों में सामाजिक जागरूकता अभियान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3452" – "General – Promotion and Publicity – Direct Expenditure" – excess of Rs.358.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28520.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards social awareness campaign in print/ electronic media.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (454.21 लाख रु.) फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1200.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 38 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.454.21 lakhs) constituted 38 percent of the supplementary grant of Rs.1200.00 lakhs obtained in February, 2009 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	8900.00			
पु.	R.	–8900.00	. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष ''5452'' पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	47200.00			
पू.	S.	1200.00	56890.00	56845.79	–44.21
पु.	R.	8490.00			

(I) 9000.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 8900.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना का विकास'' के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए - 8900.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.9000.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.8900.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Tourist Infrastructure – Tourist Accommodation - Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits" – Rs.8900.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष ''5452'' - ''पयर्टक अवसंरचना'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''पर्यटक केंद्र'' -

(A) "Tourist Centres" –

(क) ''बौद्ध केंद्र (बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं सहित)'' - 410.38 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर प्रदेश परियोजना के शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Buddhist Centres (including Externally Aided Projects)" - saving of Rs.410.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-starting of Uttar Pradesh project.

(ख) ''पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय अभिकरणों को सहायता'' - 475.00 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा स्कीमों को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने की वजह से कम परियोजनाओं/प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development" - saving of Rs.475.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to receipt of less projects/ proposals owing to late approval of schemes by Planning Commission.

(खा) ''पर्यटक आवास - अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता'' - 500.72 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निजी सार्वजनिक भागीदारी के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों/अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Tourist Accommodation – Asstt. for Large Revenue Generating Projects" – saving of Rs.500.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from the concerned State Governments/Agencies under private public partnership.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 68.85 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.68.85 lakhs occurred constituting 23 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (10032.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''5452'' - ''पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों के लिए उत्पाद/अवसंरचना का विकास'' के अंतर्गत 1200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 10000.74 लाख रु. था।

4. The above savings were partly (Rs.10032.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1200.00 lakhs under Major Head "5452" – "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation – Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits". Actual excess, however, was Rs.10000.74 lakhs.